

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 26.08.2021

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अन्नू पुत्र खदेरू नि० महेशपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 253/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मकरन निषाद पुत्र संवले निषाद नि० ऐली माझा मौजा ऐली परसौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 139/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 26.08.2021

मारपीट करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को०देहात पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट करने के वांछित अभियुक्त- उत्तम प्रकाश शुक्ला को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. उत्तम प्रकाश शुक्ला पुत्र कृष्ण नारायण शुक्ला नि० शुक्लन हाता मौजा पिपरापदुम थाना को०देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-204/21, धारा 323,326,452,504,506,34 भादवि० थाना को०देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ०नि० विजय प्रकाश मय टीम।